



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 176 राँची, सोमवार,

21 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 मार्च, 2025

संख्या-5/आरोप-1-78/2018-29388 (HRMS)—मो० प्रवेज, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-231/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2170, दिनांक 25.07.2018 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, गढ़वा के पत्रांक-643/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 17.05.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में मो० प्रवेज के विरुद्ध मनरेगा अन्तर्गत संचालित योजनाओं का निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं करने, कुल 9 योजनाओं में फर्जी निकासी एवं सरकार को मो० 8,30,157/- रुपये राजस्व क्षति पहुँचाने के साथ-साथ अनियमितता बरतने संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6609, दिनांक 29.08.2018 द्वारा मो० प्रवेज से स्पष्टीकरण की माँग की गई। मो० प्रवेज के पत्रांक-1486, दिनांक 27.11.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० प्रवेज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9073, दिनांक 13.12.2018 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-468, दिनांक 12.09.2020 द्वारा मो० प्रवेज के स्पष्टीकरण पर मंतव्य समर्पित किया गया। उक्त मंतव्य में प्रतिवेदित है कि मो० प्रवेज के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इनके द्वारा पर्यवेक्षण में हुई मानवीय भूल के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में ज्यादा सतर्कता एवं गहनता से योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पंचायत स्तर पर लगातार करने का निदेश दिया जा सकता है।

मो० प्रवेज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गढ़वा द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-6203, दिनांक 01.12.2020 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से विभागीय मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-2576, दिनांक 22.06.2023 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया गया। मंतव्य में अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गढ़वा द्वारा दिये गये मंतव्य से विभाग सहमत है।

मो० प्रवेज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण, उपायुक्त, गढ़वा एवं तत्पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-24027(HRMS), दिनांक 12.09.2023 द्वारा मो० प्रवेज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-264, दिनांक 17.01.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध एक भी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया।

मो० प्रवेज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य/निष्कर्ष से सहमत होते हुए मो० प्रवेज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-231/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० प्रवेज, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MOHAMMAD PARWEJ 110001163115	मो० प्रवेज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-231/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
